न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 47/23 तारीख 31/3/23

रमेशचन्द्र पुत्र हजारीलाल जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. पेमा पुत्र चुन्नीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)

02. अशिवनी पुत्र रूपनारायण जाति किराडिया उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरनगर जयपुर (राज0)

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 20/4/2023

प्रार्थना पत्र **रमेशचन्द्र पुत्र हजारीलाल जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा किशपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 98 पर अंकित आराजी संख्या 350/65 रकबा 1.6187 भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलिया कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा किशपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 98 पर अंकित आराजी संख्या 350/65 रकबा 1.6187 भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जि. भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 47/23 तारीख 20/4/23

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....47.........../ 2022 पत्थरगढ़ी बाबत्।

रमेशचन्द्र पुत्र हजारीलाल जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

...........प्रार्थी

बनाम

01. पेमा पुत्र चुन्नीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)

02. अशिवनी पुत्र रूपनारायण जाति किराडिया उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरनगर जयपुर (राज0)

...........विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा किशपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 98 पर अंकित आराजी संख्या 350/65 रकबा 1.6187 भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/–तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ भीलवाडा

Scanned with CamScanner